वित्तीय स्वीकृति

संख्या-29/2015/भा0स0 41 /52-3-15-बजट(16)/2015

प्रेषक,

राकेश कुमार मिश्र ,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 □□□□

□□□ में,

□□□□□,
अल्पसंख्यक कल्याण,
□0प्र0 □□□□ □

अल्पसंख्यक कल्याण □□□वक्फ □□□□-3, □□□□□ दिनांक 24 □प्रैल, 2015

विषयः- केन्द्र □□□□□□□□□ □□□□□/□□□□ शिक्षा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत □□□□ □□□□□ द्वारा स्वीकृत □□□□□ अवमुक्त किये □□□□□□□□□ में।

□□□□□,

उपर्युक्त विषयक □□□ □□□□ विकास मंत्रालय □□□ □□□□□ □□ पत्र □0-□□-8-43/2014-□□,19 दिनांक 31.03.2015 □□संदर्भ में □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□कि □□□□□ आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत □□□ □□□□ विकास मंत्रालय, □□□ □□□□□ द्वारा 1446 मदरसों की □□ □□सापेक्ष 1405 मदरसों में कार्यरत □ □□□ विषयों □□शिक्षकों □□वित्तीय वर्ष 2014-15 □□ □□□□□ □□□□ रू0 26,56,08,000/- की □□□□□ अनुमोदित □□□□□□□□□□□सापेक्ष प्रथम किश्त □□रूप में रू0 13,28,04,000/- (रू0 □□□ □□□ अठ्ठाइस □□ □□ □□□ मात्र) की □□□□□ अवमुक्त की □□□ □□

2. □□□वित्तीय वर्ष 2015-16 में केन्द्रांश □□रू0 02,44,71,24,000/- □ □□ व्ययक प्राविधान हैं। उक्त प्राविधानित ध□□□□ □□सापेक्ष □□□ □□□□□ विकास मंत्रालय □□□ □□□□□ द्वारा उपरोक्त □□□□□□ द्वारा अवमुक्त की □□□ □□□□□ रू0 13,28,04,000/- (रू0 □□□ □□□ अठ्ठाइस □□□ □□ □□□ मात्र) निम्नंकित शर्तो/प्रतिबन्धों □□ □□□□ अवमुक्त □□ □□□□ निर्वतन पर □□□□□□की श्री राज्यपाल □□□□□ सहर्ष □□□□□ प्रदान □□□□□□:-

(1) राज्य □□□□□ द्वारा □□□□□□□ □□ □□□/□□□□□ दिये □□□□□□□□□□□□□ शिक्षकों □□ विवरण विभागीय □□□□□□ □□ दिनांक 30.6.2015 □□ उपलब्ध □□□□□ □□□□ सुनिश्चित किया □□□, ताकि □□□□ □□□□□ □□प्राप्त 3□□□□□ □□□□□□□/□□□ □□ में □□□□□ □□□□□ □ □□□□□□□□□□पारदर्शिता □□□ □□□

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) उक्त स्वीकृत □□□□□ □□ व्यय/□□□□ □□ □□□ में □□□ □□□□ द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों ए□□□□□-□□□ □□ □□□ □□□□ □□□राज्य □□□□ द्वारा निर्गत स□□□ शासनादेशों □□अन्तर्गत समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति क□□□□□किया □□□□

(3) उक्त स्वीकृति □□ शर्त □□ □□□ □□कि मदरसों □□अस्तित्व □□ □□□ में पूरी □□□ □□ आश्वस्त □□□□□□□ □□□ विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य अध्ययन) □□शिक्षण कार्य □□□□□□□शिक्षकों □□अध्यापन की पुष्टि □□□□□पश्चात ही □□□□□ □□□□ की □□□□ □□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□□ कि लाभान्वित □□□□ □□□□ □□□□ द्वारा □□□□ आधुनिकीकरण योजनान्तगत निर्गत ग□□□ □□□□ की समस्त शर्तो/प्रतिबन्धों □□ पूर्ण □□□□ □□ यदि किसी मदरसें में □□□□□□ □□□□ किया □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ जिला अल्पसंख्यव कल्याण अधिकारी/ □□□□ वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप □□पूर्णतया उत्तरदायी होंगे □□□ □□□□□□ रूप □□□□□□□ की □□□ □□□□□ की □□□□ □□□□□□□□ □□□□सुनिश्चित की □□□□

(4) □□□□ □□□अल्पसंख्यव कल्याण अधिकारियों □□ □□ व्यक्तिगत दायित्व □□□ कि □□ स्वीकृत □□□□□ □□ दिशा-निर्देशो के□□□□□ □□□□□ सुनिश्चित करेगें। किसी □□ □□□ में अस्तित्वहीन □□□□□□□ अस्तित्वहीन शिक्षक □□ □□□□□ वितरित □ □□, वितरण □□□ सुनिश्चित किया □□□□ □□ वास्तव में उपस्थित □□ □□ मदरसों में शिक्षण कार्य सुनिश्चित □□□□ □□□ हों। वितरण पारदर्शी तरीके □□□□ □□□ व्यय □□ पूर्ण □□□-□□□ □ □□□□ सुरक्षित □□□□□ दायित्व जिला अल्पसंख्यव कल्याण अधिकारियों □□ □□□□ प्रश्नगत □□□□ की □□□□□ □□ □□□□ प्रमाण पत्र अविलम्ब □□□ □□ पे्रषित किया □□□□, □□ □□□□□ व्यय नही □□ □□□□ उसकी जानकारी विवरण सहित □□□ □□ उपलब्ध □□□□ □□□□□

(5) योजनान्तर्गत कार्यरत □□□□□ विषयों □□ शिक्षकों □□ प्रश्नगत □□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□ □□ पूर्व □□ सुनिश्चित □□ □□□ □□□□ कि पूर्व में □□ □□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□ शिक्षक □□ नही किया □□□ □□

(6) उक्त स्वीकृत □□□□□ □□ सापेक्ष □□□ योजनान्तर्गत कार्यरत शिक्षकों के□□□□□ □□ ही □□□□ किया □□□□□ किसी □□ □□□ में □□ □□□□□ किसी अन्य प्रयोजनार्थ व्यय नहीं की □□□□□

(7) □□ □□□□□ □□शिक्षकों द□ □□□ □□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□ किया □□□□ जिस □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ द्वारा स्वीकृत की □□□ □□

(8) स्वीकृत □□□□□ □□ □□□□□□□ प्रमाण पत्र □□ □□□ □□ अन्दर □□□ □□ उपलब्ध □□□□ □□□□□

3- उक्त □□ □□□□□□ व्यय □□□वित्तीय वर्ष 2015-16 □□ □□-व्ययक □□□□□□ संख्य-48 □□ अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-800-अन्य व्यय 01-केन्द्रीय □□□□□□□/केन्द्र द्वारा □□□□□□□□ योजनायें-0101-अल्पसंख्यव बाहुल्य क्षेत्रों में □□□□ □□□□

http://shasanadesh.up.nic.in

मदरसों □□ आधुनिकीकरण (□□0,100/□□0-□□0)20-□□□□□□ □□□□□□-सामान्य (□□□ □□□) □□□□□□ □□□□ □□□□□□

4- □□□□□ □□ वित्त विभाग □□कार्यालय ज्ञाप संख्य -2/2015/□□-1-925/□□-2015-231/2015 दिनांक 30-03-2015 में प्रदत्त निर्देशों के□□□□□□ निर्गत किये □□ □□□□□□

भवदीय,

(राकेश कुमार मिश्र)
विशेष □□□□

संख्य -□□0□040/52-3-15 तददिनांक □

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को□ सूचनार्थ □□□आवश्यक कार्यवाही हे□□प्रेषित:-

1- संयुक्त □□□□□(□□□□0) □□□□ □□□□□ विकास मंत्रालय (स्कूल शिक्षा □□□साक्षरत विभाग) □□□□ □□□□□, शास्त्री □□□ □□□ दिल्ली।
2- □□□□□□□□ (□□□ परीक्षा) प्रथम/द्वितीय □0प्र0 □□□□□□□□
3- □□□□□□□□ (□□□ □□□हकदारी) प्रथम/द्वितीय □0प्र0 □□□□□□□□
4- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय, □□□□□□□□ (□□□-प्रथम) सत्यनिष्ठ □□□ थार्न हिल □□□ □□□□□□□
5- कोषाधिकारी □□□□□ □□□ □□□□□/वित्त □□□ लेखाधिकारी अल्पसंख्य कल्याण □□□□□□□ □0प्र0 □□□□□
6- □□□□, माध्यमिक शिक्षा □□□□□□□ शिक्षा विभाग □0प्र0 □□□□□
7- □□□□□ उर्दू/प्राच्य भाषायें/□□□□ शिक्षा विभाग □0प्र0 □□□□□
8- जिला अल्पसंख्य कल्याण अधिकारी □0प्र0 □□□□ □
9- रजिस्ट्र □0प्र0 □□□□□ शिक्षा परिषद 704 □□□□□ □□□ □□□□ □
10- वित्त (□-11) □□□□□/वित्त (□□-व्ययक) □□□□□-1(02 प्रतियों में)/□□□□□□ □□□□□-3 □□□□□ □□□□□
11- कम्प्यूट □ □□□□ अल्पसंख्य कल्याण □□0-3 □□ अल्पसंख्यव कल्याण विभाग की □□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□
12- गार्ड □□□□

आज्ञ □□

(□□ प्रकाश पाण्डेय)
संयुक्त □□□□

http://shasanadesh.up.nic.in